

राजस्थान राज्य में बालिका विकास योजनाओं और नीतियों पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Shyokaran Chopra^{1*}, Dr. Manoj Kumar Soyal²

¹ Research Scholar, Faculty of Social Science & Humanities, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

Email: shyokaran Chopra@gmail.com

² Supervisor, Faculty of Social Science & Humanities, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

सारांश - यह विश्लेषणात्मक अध्ययन भारत के राजस्थान राज्य में बालिकाओं को लक्षित करने वाली विकास योजनाओं और नीतियों की जांच करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य परिणामों, बाल विवाह के विरुद्ध सुरक्षा और बालिकाओं के समग्र सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ाने में इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। एक व्यापक विश्लेषणात्मक ढांचे का उपयोग करते हुए, अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों के माध्यम से प्रमुख नीतियों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करता है। डेटा स्रोतों में सरकारी रिपोर्ट, शैक्षणिक अनुसंधान और क्षेत्र सर्वेक्षण शामिल हैं। विश्लेषण से शैक्षिक नामांकन और स्वास्थ्य जागरूकता में महत्वपूर्ण प्रगति का पता चलता है, हालांकि सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने और गहराई से जड़ जमाए हुए सांस्कृतिक मानदंडों को संबोधित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि राजस्थान की पहलों ने बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन लगातार बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास और नीतिगत परिशोधन आवश्यक हैं।

खोजशब्द - बालिका, योजनाएं, नीतियां, शिक्षा, विवाह, राजस्थान

-----X-----

परिचय

बालिकाओं के विकास ने न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। भारत में, जहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ अक्सर लड़कियों की प्रगति में बाधा डालती हैं, राज्य-स्तरीय पहल लैंगिक अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजस्थान राज्य, अपने विविध सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और गहरी जड़ों वाली परंपराओं के साथ, बालिका विकास योजनाओं और नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए एक अनूठा मामला प्रस्तुत करता है। राजस्थान ने ऐतिहासिक रूप से लैंगिक असमानता, बाल विवाह और लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। इन मुद्दों के जवाब में, राज्य सरकार ने बालिकाओं के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिसका व्यापक लक्ष्य ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ लड़कियाँ फल-फूल सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकें। यह विश्लेषणात्मक अध्ययन राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास का समर्थन करने के लिए शुरू की गई असंख्य योजनाओं और नीतियों पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य परिणाम, बाल विवाह के विरुद्ध सुरक्षा और समग्र सामाजिक सशक्तीकरण जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में इन पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना

है। एक व्यापक विश्लेषणात्मक ढांचे का उपयोग करके, अध्ययन का उद्देश्य इन कार्यक्रमों की सफलताओं और कमियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, तथा भविष्य की नीति निर्माण के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रदान करना है।

अध्ययन की संरचना इस प्रकार की गई है कि सबसे पहले राजस्थान में बालिका विकास के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ का अवलोकन किया जा सके। इसके बाद यह राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं और नीतियों की व्यवस्थित समीक्षा करता है, उनके डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करता है। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से, अध्ययन सरकारी रिपोर्टों, अकादमिक शोध और क्षेत्र सर्वेक्षणों सहित डेटा स्रोतों की एक श्रृंखला पर आधारित प्रगति और लगातार चुनौतियों के प्रमुख क्षेत्रों को उजागर करेगा। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना युवाओं और किशोरों के मानवाधिकारों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। किशोरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली एक प्रथा "बाल विवाह" है, जिसका उनके समग्र विकास के अलावा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह के प्रभाव के अंतर-पीढ़ीगत निहितार्थ हैं। इसलिए, बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न हितधारकों की ठोस और समेकित प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन व्यापक है और इस मुद्दे को संबोधित करने के किसी भी प्रयास में विभिन्न कारकों की जटिलताओं को ध्यान में रखना चाहिए जो समुदाय को इस हानिकारक प्रथा के

शिकार होने के लिए प्रेरित करते हैं। बाल विवाह अकेले नहीं होता है और कई जटिल कारकों द्वारा इसे बढ़ावा मिलता है। इस प्रथा में योगदान देने वाले कारकों पर उपलब्ध शोध साक्ष्य संकेत देते हैं कि कई सामाजिक और आर्थिक कारक इस प्रथा को बनाए रखते हैं। आम तौर पर पहचाने जाने वाले कारकों में पितृसत्तात्मक संरचनाएं, मानदंड और अपेक्षाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाज और प्रथाएं, गरीबी और आर्थिक कारक, सुरक्षा और संरक्षा की धारणाएं, कानून के बारे में जागरूकता की कमी और शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी शामिल हैं। हालांकि, किसी विशेष कारक का महत्व एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में और साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकता है। बाल विवाह बच्चे के किशोरावस्था की अवधि के दौरान उसके सामान्य संक्रमण को प्रतिबंधित करता है, खराब स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, शिक्षा और सामाजिक अवसरों के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा के संपर्क में आता है। दुनिया भर से मिले साक्ष्य बताते हैं कि लड़कियों में बाल विवाह मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर

नीतियाँ एवं योजनाएं

बाल विवाह और बच्चों और किशोरों के अन्य मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास में, राज्य में कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों और किशोरों के अधिकार सुरक्षित हैं। 2003 में राजस्थान सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा एक राज्य बाल नीति तैयार की गई थी। बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नीति का उद्देश्य सभी बच्चों के विकास और अस्तित्व के लिए समान अवसर के साथ एक सुरक्षित, संरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाना है। 2007 में, राजस्थान राज्य किशोर और युवा नीति तैयार की गई थी। यह मुख्य रूप से सूचना, आजीविका, शिक्षा, जीवन कौशल, रोजगार, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ किशोरों और युवाओं के लिए विकास और विकास के विभिन्न अवसरों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित था। 2013 में, बालिका नीति का मसौदा तैयार किया गया था। इसमें परिकल्पना की गई थी कि बालिकाओं को उनके अस्तित्व, विकास, संरक्षण, सशक्तिकरण और उनके जीवन के अधिकार का प्रयोग सम्मान के साथ और बिना किसी भेदभाव के करने के लिए सक्षम वातावरण मिलेगा। केंद्रीय स्तर पर, कई कानूनी ढांचे पेश किए गए हैं जिन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण के मुद्दे को संबोधित किया है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) 21 वर्ष की आयु से पहले लड़कों और 18 वर्ष की आयु से पहले लड़कियों के विवाह को अवैध और दंडनीय अपराध बनाता है। 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (2009) पेश किया गया था। किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) 2015, धारा 14 (XII) में कहा गया है कि एक बच्चा जो विवाह की उम्र प्राप्त करने से पहले विवाह के खतरे में है और जिसके माता-पिता, परिवार के सदस्य, अभिभावक और कोई अन्य व्यक्ति इस तरह के विवाह के लिए जिम्मेदार होने की संभावना है, वह कमजोर है और उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, राजस्थान सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मीना मंच (स्कूलों में लड़कियों के लिए मंच) और अध्यापिका मंच (शिक्षकों के लिए मंच) जैसे मंच स्कूलों में लड़कियों और शिक्षकों

के साथ आने, अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा, यह मंच स्कूलों में एक सक्षम वातावरण बनाकर लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। लड़कियों को साइकिल उपलब्ध कराने की योजना से पहुंच बढ़ रही है और लड़कियों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। शिक्षा तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लड़कियों के लिए परिवहन वाउचर जैसी योजनाएँ लाई गई हैं। लड़कियों को सशक्त बनाने और लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए, महिला अधिकारिता निदेशालय सबला और किशोरी शक्ति योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर रहा है, ताकि स्कूल न जाने वाली किशोरियों तक पहुंच बनाई जा सके और उन्हें अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में स्वास्थ्य, पोषण, जीवन कौशल और अवसरों से संबंधित जानकारी तक पहुंचने का रास्ता प्रदान किया जा सके।

लिंग चयन को संबोधित करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, निदेशालय राज्य के 14 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। बालिकाओं के जीवित रहने, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ऐतिहासिक योजनाओं में से एक के रूप में, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है, जो महत्वपूर्ण मील के पथरों से जुड़ी नियमित अंतराल पर लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किशोरों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किए गए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य संकेतकों के अनुसार पहचाने गए उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में पहचाने गए क्लीनिकों के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके और सहकर्मी शिक्षक नेटवर्क फोरम विकसित करके पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक जरूरतों को संबोधित करना है। साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएस) और मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) जैसी योजनाएं किशोरों के पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य पहलुओं को संबोधित करती हैं। इनके अलावा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण (एमसीएचएन) दिवस, जननी सुरक्षा योजना और गैर-नैदानिक गर्भ निरोधकों के सामुदायिक वितरण जैसे कार्यक्रम युवा विवाहित किशोर लड़कियों को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं।

समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण कारक है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) का उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाना और कठिन परिस्थितियों में बच्चों की भलाई में सुधार करने में योगदान देना है, साथ ही उन कमजोरियों, स्थितियों और कार्यों को कम करना है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और अलगाव का कारण बनते हैं। आपकी बेटी योजना, राजस्थान सरकार की एक योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की कक्षा 1-12 में नामांकित लड़कियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो अनाथ हैं या जिनके माता-पिता में से एक जीवित है। 2011-12 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, पालनहार योजना के लाभार्थियों और संस्थागत घरों (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) में रहने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा / कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने पर केंद्रित है। राज्य किशोरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, इस नीति का मुख्य रूप से जोमटियन घोषणा (1990) द्वारा पालन किया जाता है, जिसने प्राथमिक शिक्षा में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया। इस अवधि के दौरान कई नए कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की गईं। जैसे-जैसे दशक आगे बढ़ा, यह अहसास हुआ कि प्राथमिक शिक्षा केवल औपचारिक पहुँच और साक्षरता दरों के बारे में नहीं है और इसका मुख्य मुद्दा "असमानताओं को दूर करना और उन लोगों को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके शैक्षिक अवसर को समान बनाना है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है" (एनपीई, 1986)।

बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” बालिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। भारत सरकार ने देश भर में 100 से अधिक लिंग-संवर्धनशील जिलों में एक जन अभियान और बहु-क्षेत्रीय कार्यवाई के माध्यम से बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (डीएवीपी) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी मंत्रालय) के परामर्श से एक मीडिया अभियान विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अभियान का मुख्य जोर लिंग आधारित भेदभाव को रोकना, बालिकाओं के शैक्षिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोजगार के अवसरों में भागीदारी सुनिश्चित करना है।

प्रगति - बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति

भारत सरकार ने लड़कियों को तकनीकी शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता देने के उद्देश्य से प्रगति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति और पूरे कोर्स के दौरान 10 महीने के लिए 2,000 रुपये महीने की ट्यूशन फीस देने का प्रावधान है। इस योजना से हर साल करीब चार हजार लड़कियों को लाभ मिलेगा, इस योजना की एकमात्र सीमा यह है कि एक परिवार में एक ही लड़की को लाभ दिया जा सकता है।

प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा केंद्र

भारत सरकार ने बालिकाओं के बेहतर नामांकन और उनके विद्यालय में बने रहने की गारंटी के लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। ये शैक्षणिक केंद्र पूरे देश में स्थापित किए गए हैं ताकि हर बच्चा, खास तौर पर बालिका, औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सके। वर्तमान योजना बालिकाओं को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की भी योजना बनाती है। इन केंद्रों का मुख्य जोर 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास पर काम करना है। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के पास सर्व शिक्षा अभियान की जिम्मेदारी है और समाज कल्याण विभाग (एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के माध्यम से) के पास ईसीसीई केंद्रों को चलाने की जिम्मेदारी है (शर्मा, 2015)।

एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति

लिंग भेदभाव के क्षेत्र में शोध अध्ययनों के अनुसार कुछ राज्यों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में कमी आ रही है। हमारे समाज में लड़कियों के जन्म के समय कोई अधिकार नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल शिक्षा ही इन लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने में मदद कर सकती है। भारतीय समाज में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता का रवैया बहुत नकारात्मक है और यही कारण है कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से पीछे हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे का मूल मानव अधिकार घोषित किया है।

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा

राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। ‘ममता’ योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ‘जननी सुरक्षा योजना’ हाशिए के समुदायों की गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, सैपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार, राजस्थान में मातृ मृत्यु दर 2014-16 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 318 से घटकर 2017-19 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 244 हो गई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार की पहल

राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आरएससीडब्ल्यू यानी राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ‘भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना’ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिसमें परिवार की महिला मुखिया प्राथमिक लाभार्थी होती है। ‘अन्नपूर्णा रसोई योजना’ हाशिए के समुदायों की महिलाओं और बच्चों को रियायती भोजन प्रदान करती है। [12,13,15] इन पहलों के परिणामस्वरूप, ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किए गए शोध के आधार पर, राजस्थान में ग्राम सभाओं में भाग लेने वाली महिलाओं का अनुपात 2005 में 19.3% से बढ़कर 2013 में 46.6% हो गया।

राजस्थान में बालिकाओं को रोजगार

राजस्थान सरकार ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। ‘मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना’ महिलाओं को कौशल हासिल करने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ‘सखी मंडल योजना’ महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान में महिलाओं के बीच श्रम शक्ति भागीदारी दर 2004-05 में 19.3% से बढ़कर 2017-18 में 24.9% हो गई है। राजस्थान सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। इन पहलों का राज्य में महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, खासकर

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी और रोजगार के मामले में। हालाँकि, राजस्थान में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। सरकार को राज्य में महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव और महिलाओं की स्वतंत्रता और एजेंसी को प्रतिबंधित करने वाले सामाजिक मानदंड शामिल हैं। निरंतर प्रयासों से राजस्थान भारत में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता का एक शानदार उदाहरण बन सकता है। लैंगिक समानता, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तीकरण आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण को प्राप्त करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे महिला सशक्तीकरण हासिल किया जा सकता है। महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना भी लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

शिक्षा तक पहुँच में लैंगिक असमानता

शिक्षा ही मुख्य कारक प्रतीत होती है, जो केवल महिलाओं को लाभ पहुँचाने का क्रम आरंभ कर सकती है। हालाँकि, शिक्षा तक पहुँच को पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग माना जाता है। साक्षरता, नामांकन और स्कूल में बिताए गए वर्ष जैसे प्रमुख संकेतक शिक्षा तक पहुँच की स्थिति का वर्णन करते हैं और इनमें से प्रत्येक संकेतक से पता चलता है कि भारत में महिला शिक्षा का स्तर अभी भी कम है और अपने पुरुष समकक्षों से बहुत पीछे है। महिलाओं के लिए कम वयस्क साक्षरता दर महिलाओं की शिक्षा में निवेश करने में लापरवाही को दर्शाती है और इस प्रकार आवश्यक रूप से निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है। समस्या केवल स्कूलों में कम नामांकन तक ही सीमित नहीं है, लड़कियों की स्कूल उपस्थिति भी अविश्वसनीय रूप से कम पाई गई है। ग्रामीण लड़कियाँ वंचित समूहों से संबंधित हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबसे खराब स्थिति प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ लड़कियों के स्कूल छोड़ने का अनुपात भी बढ़ा है। यह शिक्षा तक पहुँच में लैंगिक असमानता के पैटर्न को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, जो समाज में निम्न से उच्च शिक्षा प्राप्ति और शहरी से ग्रामीण और वंचित समूह की ओर बढ़ने के साथ गहराता हुआ प्रतीत होता है।

बालिका शिक्षा के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य

नीतिगत ढांचा, महिलाओं और लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों का प्रावधान स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालाँकि इन प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम मिले, लेकिन लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में। 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई, 1986) महिला शिक्षा पर नीति के क्षेत्र में मील का पत्थर थी क्योंकि इसने शैक्षिक पहुँच और उपलब्धि में पारंपरिक लैंगिक असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता को पहचाना। एनपीई ने यह भी माना कि अकेले बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसने माना कि

"महिलाओं का सशक्तीकरण संभवतः शैक्षिक प्रक्रिया में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है"। कार्रवाई का कार्यक्रम (पीओए, 1992), "महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा" अनुभाग में (अध्याय- XII, पृष्ठ 105-107), शिक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण पूर्व शर्त के रूप में महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सभी युवाओं के लिए निकट स्थान (जैसे, 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय और 7-10 किलोमीटर के भीतर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)/कुशल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था/स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवासीय सुविधाओं सहित मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से मानदंडों के अनुसार माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाने पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक-आर्थिक, विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति को समझने का एक प्रयास है। राजस्थान भारत के उन गरीब राज्यों में से एक है जहाँ लैंगिक भेदभाव विद्यमान है। राजस्थान का लिंगानुपात भी कम है और बाल विवाह यहाँ एक बड़ी समस्या है। राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि हर पहलू में लैंगिक भेदभाव विद्यमान है। शोधकर्ता ने स्वयं राजस्थान के क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में पक्षपात के संबंध में कई घटनाओं का अनुभव किया है। ग्रामीण भारत में बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देना एक काली सच्चाई है। एक बालिका परिवार में बोल और परिवार के बाहर एक वस्तु के रूप में जीवन जीती है। बाल विवाह भी एक जमीनी हकीकत है जो बालिकाओं के शिक्षा के अवसर को सीमित करता है। बाल विवाह और बच्चों और किशोरों के अन्य मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास में, राज्य में कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

संदर्भ

1. गुप्ता एनएल. युगों से महिला शिक्षा, कॉन्सेट पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली,
2. गुप्ता एनएल. युगों से महिला शिक्षा, कॉन्सेट पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली, 2003
3. चयनित शैक्षिक सांख्यिकी योजना, निगरानी और सांख्यिकी प्रभाग, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2003-04।
4. अग्रवाल एस.पी. भारत में महिला शिक्षा (1995-98) वर्तमान स्थिति, परिप्रेक्ष्य, योजना, सांख्यिकी, 2001
5. बंधोपाध्याय, एम., और सुब्रह्मण्यम, आर. (2008)। शिक्षा में लैंगिक समानता: प्रवृत्तियों और कारकों की समीक्षा।
6. भद्रा, एम. (सं.). (1999)। भारतीय समाज में बालिकाएँ। रावत प्रकाशन।

7. भाखरी, एस. (2006)। भारत में बच्चे और उनके अधिकार। राजिका प्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत।
8. जी. गांधी किंगडन (2002) भारत में शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक अंतर: कितना समझाया जा सकता है? जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 39:2, 25-53. <https://doi.org/10.1080/00220380412331322741>
9. गांगुली, (2015), शिक्षा के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।
10. गुप्ता, डी. (1987)। भारत के ग्रामीण पंजाब में लड़कियों के खिलाफ चयनात्मक भेदभाव। जनसंख्या और विकास समीक्षा, 77-100। <https://doi.org/10.2307/1972121>
11. होल्ट, जे. 1975. बचपन से पलायन, हार्मोड्सवर्थ: पेंगुइन बुक्स जांगिड़, एच. और अज़ीज़, ई. पी. (2017)। लैंगिक भेदभाव पर माता-पिता का रवैया और बच्चों की धारणा: ग्रामीण राजस्थान का एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3(1)।
12. जॉन, एम. ई. (2011)। जनगणना 2011: शासकीय जनसंख्या और बालिकाएँ। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 46(16), 10-12।
13. जोमटियन डी. (1990)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
14. कार्लेकर, एम. (1995)। भारत में बालिकाएँ: क्या उनके पास कोई अधिकार हैं? कनाडाई महिला अध्ययन, 15(2/3), 55।
15. कुमार, ए., रुस्तगी, पी. और सुब्रह्मण्यम, आर. (2015) भारत के बच्चे: सामाजिक नीति पर निबंध। ऑक्सफोर्ड। <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199455287.001.0001>
16. शर्मा, एस. (2015) थिएटर के माध्यम से लैंगिक चिंताओं को संबोधित करना: WASPJ द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का एक अध्ययन।
17. विश्व बैंक। (2012)। विश्व विकास रिपोर्ट-2012; लैंगिक समानता और विकास। विश्व बैंक।
18. अमीन, एस., चोंग, ई., और हैबरलैंड, एन. (2007)। बाल विवाह को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम: समस्या की रूपरेखा (संक्षिप्त संख्या 14)। <http://www.popcouncil.org/pgy> से लिया गया
19. राजस्थान सरकार। (2008)। मानव विकास रिपोर्ट राजस्थान। विकास अध्ययन संस्थान।
20. यादव, के.पी. (2006)। भारत में बाल विवाह। नई दिल्ली: अध्ययन।

Corresponding Author

Shyokaran Chopra*

Research Scholar, Faculty of Social Science & Humanities, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

Email: shyokaranchopra@gmail.com